30/9/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम टोडा के हाल खाता संख्या 547 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता का नाम छोटू गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम **सुगना उर्फ सुगन** है। उक्त भूमियों के गत खसरा नबंर 1197,1198,1199, 1202,1337 की खातेदारी संवत 2028–31 में प्रार्थी के दादा छोटिया उर्फ छोटू पुत्र गंगू के नाम दर्ज रही है। प्रार्थी के पिता सुगना उर्फ सुगन की मृत्यु प्रार्थी के दादा छोटू की मृत्यु से पूर्व ही हो गई थी। प्रार्थी के दादा छोटू की मृत्यू होने पर विरासतन नामान्तरणकरण दिनांक 3012.2013 में प्रार्थी व प्रार्थी के भाइयों की वल्दियत सुगना के स्थान पर सहवन से दादा का नाम छोटू अंकित कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में गत राजस्व रिकार्ड की प्रतियां नामान्तरणकरण संख्या 265 दिनांक 30.12.1973 प्रस्तुत की है, प्रस्तुत नामान्तरणकरण की कॉलम संख्या 11 में रामोतार, राजेन्द्र, सत्यनारायण पिता सुगन अंकित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने स्वयं का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम सुगनाराम अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **राजेन्द्र पुत्र छोटू** गलत दर्ज है। जबकि सहीं प्रविष्टी **राजेन्द्र पुत्र सुगना उर्फ सुगन** की पुष्टि नामान्तरणकरण संख्या 265 दिनांक 30.12.1973 के कॉलम संख्या 11, प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड से होती है। साथ ही प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि स्वयं के लिखित एवं नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रा0 पत्रा0 547 / 2022
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–

राजस्व ग्राम	**भूमि का विवरण**	**वर्तमान प्रविष्टि**	**अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि**
टोडा	खाता संख्या 547	**राजेन्द्र पुत्र छोटू**	**राजेन्द्र पुत्र सुगना उर्फ सुगन**

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपख[illegible]धिकारी
नीम[illegible] (सी[illegible])